

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक:

सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो० हिन्‍डू राँची।

/राँची, दिनांक:-16.08.2019

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- विभागीय, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजित किये जाने वाले बैठक, सम्मेलन, सेमिनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण में भाग लेने एवं विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिये 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (पार्ट-I)-08/2019-20, प्र०स्वी० दिनांक-01.07.2019

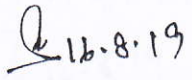
आदेश - स्वीकृत।

विषयक कार्य हेतु विभागीय पत्रांक-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (पार्ट-I)-08/2019-20, प्र०स्वी० दिनांक-01.07.2019 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति का स्वीकृत्यादेश निर्गत है।

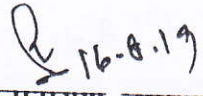
उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश की कंडिका-3 (ख) में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची को एतद् द्वारा सम्मिलित किया जाता है।

- (2) एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-08/2019-20, दिनांक-01.07.2019 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
- (3) पूर्व में निर्गत उक्त स्वीकृत्यादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेगी।
- (4) इसपर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- (5) आदेश पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- (6) इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

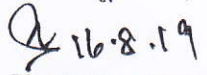
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

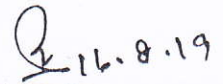
पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-23/19-20/राँची, दिनांक:-16.08.2019
प्रतिलिपि:-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

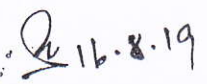
पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-23/19-20/राँची, दिनांक:-16.08.19
प्रतिलिपि:- कोषागार, पदाधिकारी/उप-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/गढवा/देवघर/ राँची/हजारीबाग/ सरायकेला-खरसावाँ/साहेबगंज/उप-कोषागार, घाटशिला/तेनुघाट, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-23/19-20/राँची, दिनांक:-16.08.19
प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव (अभि.)/उप सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, राँची/अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जल भवन, डोरण्डा, राँची/मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ हजारीबाग/ मेदिनीनगर/ देवघर/ईचा-गालूडीह/चांडिल कम्पलेक्स/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3, राँची/अधीक्षण अभियंतों, जलपथ अंचल, राँची/जलपथ अंचल, हजारीबाग/बराज अंचल, गालूडीह/खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर/समग्र योजना एवं जल विज्ञान, अंचल, राँची/सिंचाई अंचल, जसीडीह शिविर-देवघर/अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गालूडीह/कार्यपालक अभियंता, गंगा पम्प नहर प्रमण्डल, साहेबगंज/सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा, शिविर-महागामा/कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना, अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमण्डल सं०-2, राँची/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/खरकई नहर प्रमण्डल, आदित्यपुर/उप-निदेशक (वैज्ञानिक), गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, राँची को On-line स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

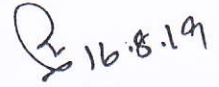

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-23/19-20/राँची, दिनांक:-16.08.19
प्रतिलिपि:-आयुक्त, दक्षिणी छोटानागरपुर प्रमण्डल, राँची/उत्तरी छोटानागरपुर, प्रमण्डल, हजारीबाग/कोल्हान प्रमण्डल/संथालपरगना प्रमण्डल, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर/सभी संबंधित उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

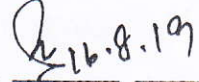
पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-23/19-20/राँची, दिनांक:-16.08.19

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

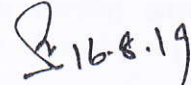
पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-23/19-20/राँची, दिनांक:-16.08.19

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता (मो०)-1, 2, एवं 3, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-1/2/3/4/5/6/7, जल संसाधन विभाग, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक:-2/पी०एम०सी०/आवंटन/45/2008 (Part-I)-23/19-20/राँची, दिनांक:-16.08.19

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

